न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–118 / 22 जीसीएमएस न 2022 / 253

1. जगन्नाथ आत्मज पांचूलाल, जाति बागरी

2. बाबूलाल आत्मज पांचूलाल जाति बागरी, निवासीगण सावन भादों, तहसील कनवास जिला कोटा (राज.)

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

प्रतिपक्षी

उपस्थिति:–

वादीनी की ओर से :– श्री एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– तहसीलदार कनवास

वाद इन्द्राज दूरूस्ती (जाति दूरूस्त कर बागरी तथा पिता का नाम दूरूस्त कर पांचू लाल किये जाने) अन्तर्गत धारा 88, 89, राजस्थान टिनेंसी एक्ट

–:: **निर्णय** ::– दिनांक:–11.02.2023

वादीगण के द्वारा जर्ये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88 89 पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व अन्य सहखातेदार कान्ति बाई, दाखाबाई, सुगना बाई, संतोष बाई उर्फ देव बाई पुत्रियां पांचूलाल जो वादीगण की बहिने है की सही जाति बागरी है तथा पिता का शुद्ध व सही नाम पाँचू लाल है आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक तथा अन्य खाते की जमाबन्दी नकल सबूत संवत 2074–2077 खाता सं. 279 तथा जमाबंदी संवत 2074–77 खाता सं. 280 में तथा सभी दस्तावेजों में वादीगण वह सहखातेदार की जाति बागरी तथा पिता का नाम पांचूलाल दर्ज है जो इस वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादीगण तथा सहखातेदार कान्ति बाई, दाखाबाई, सुगना बाई, संतोष बाई उर्फ देव बाई पुत्रियां पांचूलाल जो वादीगण की बहिने है के संयुक्त खाते की आराजी माल ग्राम सावन भादों की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 में खाता सं. 238 में खसरा नं. 1055 की 0.60 हैक्टेयर, खसरा नं. 1077 की 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 1078 की 0.21 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 1080 की 0.18 हैक्टेयर कुल 4 किता की 1.00 हैक्टेयर आराज़ी स्थित है जिसमें वादीगण व उनकी बहिनें सभी का अलग–अलग 1/6–1/6 हिस्सा निहित है जिसमें वादीगण व उसकी बहिनें कान्ति बाई, दाखाबाई, सुगना बाई, संतोष बाई उर्फ देव बाई पुत्रियां पांचूलाल की जाति बागरी के स्थान पर मोग्या तथा वादीगण तथा उनकी बहिनों के पिता का नाम पांचू लाल के स्थान पर पांच्या नामांतरण दर्ज करते समय सहवन से दर्ज कर दिया जो वादीगण व उनकी सहखातेदार बहिनों के साथ कुठाराघात हुआ है जिसे दूरूस्त कर जाति मोग्या के स्थान पर बागरी तथा पिता का नाम पोंच्या के स्थान पर पाँचू लाल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

वादीगण तथा उनकी सहखातेदार बहिनों की सही जाति बागरी है और वादीगण व उनकी बहिनों के पिता का शुद्ध व सही नाम पांचू लाल ही है परन्तु बोलने चालने में लोगों द्वारा वादी पाँच्या, पांचू नामों से भी बोल दिया जाता है।

वादपत्र के पैरा नं. 2 में वर्णित आराजी में वादीगण व उनकी सहखातेदार बहिनो की जाति बागरी के स्थान पर मोग्या हो जाने तथा पिता का नाम पाँचूलाल के स्थान पर पॉच्या दर्ज हो जाने से वादीगण का भूमि पर सहकारी व बैंक ऋण प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है वादीगण ने दूरस्त कराने के लिए कई मर्तबा पटवारी व तहसीलदार साहब को अनेकों प्रार्थना पत्र दिये परन्तु आज तक जाति व पिता का नाम दूरस्त नहीं हुआ बल्कि तहसीलदार साहब कनवास द्वारा उक्त दूरूस्त करने का कार्य उनके क्षेत्राधिकार से बाहर बताकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास में दावा दायर करने के निर्देश दिये तत्पश्चात यह दावा इन्द्राज दुरुस्त करने जाति व पिता का नाम माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

वाद कारण नामांतरण दर्ज करते समय संहवन से राजस्व कर्मचारी द्वारा जाति व पिता नाम गलत वर्णित कर देने तथा तथा जाति व पिता का नाम दुरूस्त करने की प्रार्थना करने के बावजूद जाति व पिता का नाम दुरुस्त न करने व अन्तिम मर्तबा दावा पेश करने के निर्देश देने पर दिनांक 15.12.2022 को उत्पन्न हुआ । राजस्थान राज्य को भूमिधारक होने से जये प्रतिनिधि तहसीलदार कनवास को पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि यह कि वादीगण तथा सहखातेदार कान्ति बाई, दाखाबाई, सुगना बाई, संतोष बाई उर्फ देव बाई पुत्रियां पांचूलाल जो वादीगण की बहिने है के संयुक्त खाते की आराजी माल ग्राम सावन भादों की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 में खाता सं. 238 में खसरा नं. 1055 की 0.60 हैक्टेयर, खसरा नं. 1077 की 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 1078 की 0. 21 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 1080 की 0. 18 हैक्टेयर कुल 4 किता की 1.00 हैक्टेयर आराजी स्थित है जिसमें वादीगण व उनकी बहिनें सभी का अलग–अलग 1ध6–1ध6 हिस्सा निहित है जिसमें वादीगण तथा सहखातेदारान जो वादीगण की बहिने कान्ति बाई दाखाबाई. सुगना बाई, संतोष बाई उर्फ देव बाई पुत्रियां पांचूलाल की जाति मोग्या के स्थान पर दूरस्थ कर बागरी तथा पिता का नाम पॉच्या के स्थान पर दूरूस्त कर पांचूलाल किया जाकर खातेदार घोषित कर घोषणा की डिकी जारी की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी तलवी जर्ये सम्मन जारी किये गये पत्रावली राष्टीय लोक अदालत को पेश हुई। तहसीलदार कनवास की ओर से जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली में तनकीयात कायम की गई जो शामिल पत्रावली की गई पत्रावली पर साक्ष्यवादी में वादीगण का शपथ पत्र पेश हुआ एवं अन्य गवाह पीडब्लू 1 जमनालाल पुत्र गोबरी लाल जाति धाकड निवासी सावनभादौ एवं पीडब्लू 2 मुकुट सेन पुत्र भैरूलाल जाति नार्ठ निवासी सावनभादो एवं पीडब्लू 3 सालिगराम पुत्र मोतीलाल जाति माली निवासी सावनभादौ व पीडब्लू 4 किशन गोपाल पुत्र अमरलाल जाति धाकड निवासी सावनभादौ का एवं पीडब्लू 5 रमेश कुमर पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति कुमावत निवासी सावनभादौ का शपथ पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गय ापत्रावली पर साक्ष्यवादी की जिरह नही करना चाहने से साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस में नियत की जाकर पत्रावली वास्ते बहस में नियत की जाकर बहस वादी एक तरफा सुनी गई वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यवादी में प्रस्तुत शपथ पत्र, जवाब सरकार का अवलोकन किया गया वादी का वाद उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि वादीगण एवं उनकी बहनो के सयुक्त खाते में दर्ज माल ग्राम सावन भादों की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 में खाता सं. 238 में खसरा नं. 1055 की 0.60 हैक्टेयर, खसरा नं. 1077 की 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 1078 की 0.21 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 1080 की 0. 18 हैक्टेयर कुल 4 किता की 1.00 हैक्टेयर आराजी मे वादीगण जगन्नाथ पुत्र पांचू लाल एवं सहखातेदारान कान्ति बाई, दाखाबाई, सुगना बाई, संतोष बाई उर्फ देवबाई पुत्रियां पॉचूलाल की जाति मोग्या के स्थान पर बागरी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं साथ ही पिता का नाम पॉच्या के स्थान दुरस्त किया जाकर पांचूलाल दर्ज किया जाकर खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

Scanned with ACE Scanner

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

प्रकरण संख्या:–118/22 जीसीएमएस न 2022/253

1. जगन्नाथ आत्मज पांचूलाल, जाति बागरी
2. बाबूलाल आत्मज पांचूलाल जाति बागरी, निवासीगण सावन भादों, तहसील कनवास जिला कोटा (राज.)

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

प्रतिपक्षी

उपस्थिति::–
वादीनी की ओर से :– श्री [redacted] एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– तहसीलदार कनवास

वाद इन्द्राज दूरूस्ती (जाति दूरूस्त कर बागरी तथा पिता का नाम दूरूस्त कर पांचू लाल किये जाने) अन्तर्गत धारा 88, 89, राजस्थान टिनेंसी एक्ट

मुकदमा नं. **118/22** सन **2022** तारीख फैसला **11.02.2023** **न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी **श्री विनोद कुमार गौतम वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी की ओर से राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण एवं उनकी बहनो के सयुक्त खाते में दर्ज माल ग्राम सावन भादों की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 में खाता सं. 238 में खसरा नं. 1055 की 0.60 हैक्टेयर, खसरा नं. 1077 की 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 1078 की 0.21 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 1080 की 0. 18 हैक्टेयर कुल 4 किता की 1.00 हैक्टेयर आराजी मे वादीगण जगन्नाथ पुत्र पांचू लाल एवं सहखातेदारान कान्ति बाई, दाखाबाई, सुगना बाई, संतोष बाई उर्फ देवबाई पुत्रियां पॉचूलाल की जाति मोग्या के स्थान पर बागरी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं साथ ही पिता का नाम पॉच्या के स्थान दुरस्त किया जाकर पांचूलाल दर्ज किया जाकर खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। **तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **11.02.2023** माह **फरवरी** को जारी की गई।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	,,,,	----NIL----		स्टाम्प वकालतनामा	,,,,	----NIL----	
स्टाम्प वकालतनामा	,,,,			स्टाम्प अर्जी	,,,,		
स्टाम्प वजह सबूत	,,,,			महनताना वकील	,,,,		
महनताना वकील	,,,,			खर्चा गवाहान	,,,,		
खर्चा गवाहान	,,,,			फीस कमिश्नर	,,,,		
फीस कमिश्नर	,,,,			बाबत इजराय हुकमनामा	,,,,		
बाबत इजराय हुकमनामा	,,,,			मुतफर्रिक	,,,,		
मुतफर्रिक	,,,,						
मीजान	,,,,			मीजान	,,,,		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

Scanned with ACE Scanner